



JEEVIKA

Rural Development Department, Government of Bihar

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



बिहार सरकार
www.brlps.in

Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

Ref No: - BRLPS/ERTT/110/06/2942

Date:- 15.11.2021.

Office Order

Increment of DA from 28% to 31% to Bihar Govt. Servants on deputation to BRLPS

Vide Finance Department Resolution No-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-7529/वि०, dated-09.11.2021, the Govt. of Bihar has allowed 31% dearness allowance in place of 28%, which is effective from 01.07.2021.

State Government Officials who are on deputation to BRLPS are entitled to increased dearness allowance since 01.07.2021 as per above mentioned Govt. of Bihar (Finance Department) Resolution.

It is, accordingly directed that increased DA@ 31% of the basic be paid to such employees, as per Finance Department Resolution No-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-7529/वि०, dated-09.11.2021.

By the Order of CEO



(Rajiv Kumar Singh)
Administrative Officer

Copy to:-

1. OSD/Director-I/C
2. CFO
3. DPM-Livestock(SPMU)
4. SPM-HRD
5. IT Section
6. Concerned file

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-7529/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-09-11-2021

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक-20/07/2021 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं०-5421, दिनांक-19/08/2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/4/2021-E-II(B) दिनांक-25/10/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/07/2021 से भुगतये है और बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह नवम्बर, 2021 के वेतन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 से आकलित बकाये राशि का भुगतान उसके पश्चात् किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7529/वि०

पटना, दिनांक:- 09-11-2021

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7529/वि०

पटना, दिनांक:- 09-11-2021

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7529/वि०

पटना, दिनांक:- 09-11-2021

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महंगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7529/वि०

पटना, दिनांक:-09-11-2021

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7529/वि०

पटना, दिनांक:-09-11-2021

प्रतिलिपि:-प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7529/वि०

पटना, दिनांक:-09-11-2021

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-03.11.2021 के मद संख्या-16 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग